न्यायालय विशिष्ठ न्यायाधीश,(एन0आई0ए0कैसेज)
एवं सी.बीआई.संख्या–1,जयपुर (राज0)

(पीठासीन अधिकारी–दिनेश कुमार गुप्ता, आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

True-copy
22/3
विशिष्ठ न्यायाधीश
(एन० आई० ए० कैसेज)
एवं सी०बी०आई० सं० 1
राजस्थान, जयपुर

सेशन प्रकरण सं. : 02/2011

सरकार जरिये एन.आई.ए., नई दिल्ली, जरिये विशेष लोक अभियोजक।

...अभियोगी...

बनाम

1– देवेन्द्र गुप्ता उर्फ बोबी उर्फ रमेश पुत्र श्री सत्यप्रकाश गुप्ता, उम्र–41 वर्ष निवासी–बिहारीगंज, पहली गली के सामने, अजमेर (राजस्थान)

2– भावेश अरविन्द भाई पटेल पुत्र श्री अरविन्द भाई पटेल, उम्र–39 वर्ष, निवासी–बी/4, हाथीखाना बाजार, भरूच, गुजरात।

...अभियुक्तगण

उपस्थितः–

1. श्री अश्वनी कुमार शर्मा, विशेष लोक अभियोजक, एन.आई.ए. की ओर से।
2. श्री जे.एस.राणा एवं श्री एस.पी. राव, अधिवक्तागण, अभियुक्त देवेन्द्र गुप्ता की ओर से।
3. श्री जे.एस.राणा, श्री लोकेश शर्मा एवं श्री जितेन्द्र सिंह राठौड़, अधिवक्तागण, अभियुक्त भावेश की ओर से।

विशिष्ठ न्यायाधीश ... राजस्थान, जयपुर

–:: दण्डादेश ::– **दिनांक:22–03–2017**

हस्तगत प्रकरण में दिनांक 08–03–2017 को निर्णय पारित करते हुए अभियुक्त देवेन्द्र गुप्ता को भा.द.स. धारा 120बी सपठित धारा 295ए, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 की धारा 3 सपठित धारा 120बी भा.द.सं. एवं धारा 4 तथा विधि विरूद्व कियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 16 सपठित धारा 15 सपठित धारा 120बी भा.द.सं. एवं धारा 18 के तहत दण्डनीय

अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया गया है।

2— जबकि अभियुक्त देवेन्द्र गुप्ता को विधि विरूद्ध कियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 16 सपठित धारा 15 सपठित धारा 120बी भा.द.सं. के तहत दण्डनीय अपराध के लिये दोषसिद्ध किये जाने के कारण, उसे भा.द.सं. की धारा 302 या धारा 120बी सपठित धारा 302 एवं धारा 307 या धारा 120बी सपठित धारा 307 के तहत दण्डनीय अपराधों के लिए पृथक से दोषसिद्ध नहीं किया गया है।

3— वहीं अभियुक्त भावेश पटेल को इसी निर्णय के द्वारा भा.द.सं. की धारा 120बी सपठित धारा 295ए, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 की धारा 3 एवं धारा 4 तथा विधि विरूद्ध कियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1967 की धारा 16 सपठित धारा 15 एवं धारा 18 के तहत दण्डनीय अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया गया है।

4— जबकि अभियुक्त भावेश भाई पटेल को विधि विरूद्ध कियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 16 सपठित धारा 15 के तहत दण्डनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किये जाने के कारण, उसे भा.द.सं. की धारा 302 या धारा 120बी सपठित धारा 302 एवं धारा 307 या धारा 120बी सपठित धारा 307 के तहत दण्डनीय अपराधों के लिए पृथक से दोषसिद्ध नहीं किया गया है।

5— दण्ड के प्रश्न पर हमने उभयपक्ष को ध्यानपूर्वक सुना है।

विशिष्ठ न्यायाधीश (एन० आई० ए०) राजस्थान, जयपुर

6— विद्वान विशिष्ठ लोक अभियोजक ने दरगाह शरीफ अजमेर में रमजान के पवित्र महिने में बम विस्फोट कर मुस्लिम धर्मावलम्बियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने तथा दरगाह शरीफ, अजमेर में आने वाले हिन्दू एवं मुस्लिम दर्शनार्थियों में आतंक उत्पन्न करने के आशय से कारित किये गये हस्तगत अपराध को गम्भीरतम अपराध की श्रेणी में आना बताते हुए उक्त दोनों अभियुक्तगण को समुचित दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया है।

7— विद्वान विशिष्ठ लोक अभियोजक का यह भी तर्क रहा है कि दरगाह शरीफ, अजमेर में मुस्लिम धर्मावलम्बियों के अलावा हिन्दू धर्मावलम्बी भी बड़ी संख्या में दर्शन करने के लिए जाते हैं तथा दरगाह शरीफ में बम विस्फोट

कारित करने के षडयंत्र का उद्देश्य भी दोनों ही समुदाय के धर्मावलम्बियों में आतंक पैदा करना तथा हिन्दू धर्मावलम्बियों को दरगाह शरीफ, अजमेर में आने से रोकना था, ऐसे में विद्वान विशिष्ठ लोक अभियोजक के अनुसार दोनों अभियुक्तगण के हिन्दू धर्मावलम्बी होने का भी उनके पक्ष में कोई प्रभाव एवं महत्व नहीं रह जाता है।

8— विद्वान विशिष्ठ लोक अभियोजक का यह भी तर्क है कि दरगाह शरीफ, अजमेर में बम विस्फोट की घटना कारित किये जाने से 03 निर्दोष लोगों की रोजा–इफ्तार के समय मृत्यु हुई है तथा 15 लोग घायल हुए हैं, ऐसे में अपराध की गंभीरता अत्यधिक बढ़ जाती है, जिस तथ्य को भी दोनों अभियुक्तगण को दण्डित करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिये।

9— विद्वान विशिष्ठ लोक अभियोजक का यह भी तर्क रहा है कि हिन्दू धर्म केवल धर्म मात्र नहीं है, बल्कि एक जीवन पद्धति है। हिन्दू धर्म को अनन्त काल से एक सहिष्णु धर्म के रूप में देखा जाता रहा है तथा यह कभी किसी की कल्पना में भी नहीं था कि कोई हिन्दू धर्मावलम्बी भी आतंकवादी घटना में लिप्त हो सकता है, ऐसे में विद्वान विशिष्ठ लोक अभियोजक के अनुसार दोनों अभियुक्तगण एवं इस घटना में लिप्त अन्य अज्ञात अभियुक्तगण का कृत्य हिन्दू धर्म के स्थापित मूल्यों को भी गहरी ठेस पहुँचाने वाला है।

10— विद्वान विशिष्ठ लोक अभियोजक के अनुसार हिन्दू धर्म ''जियो और जीने दो'' के सिद्धान्त पर आधारित है तथा ''वसुधैव कुटुम्बकम'' के भाव का प्रवर्तक एवं पोषक रहा है, ऐसे में अभियुक्तगण की हस्तगत मामले में लिप्तता हिन्दू धर्म के उक्त स्थापित मूल्यों को भी ठेस पहुँचाने वाली है।

11— इस प्रकार विद्वान विशिष्ठ लोक अभियोजक के अनुसार न्यायालय को उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को विचार में लेते हुए अभियुक्तगण को समुचित दण्ड से दण्डित करना चाहियें।

12— इसके विपरीत प्रत्येक अभियुक्तगण की ओर से, उनके विद्वान अधिवक्ता श्री जे.एस. राणा ने निम्नलिखित पृथक–पृथक तर्क प्रस्तुत किये हैं:—

1— <u>अभियुक्त देवेन्द्र गुप्ता :—</u>

13— श्री जे.एस. राणा के अनुसार न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय अभियुक्त देवेन्द्र गुप्ता को दरगाह शरीफ अजमेर में बम ब्लास्ट कारित करने के लिये रचे गये आपराधिक षडयन्त्र का पक्षकार मानते हुए उसे विधि विरुद्ध किया कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 16 सपठित धारा 15 सपठित धारा 120—बी भा.द.सं. के तहत दोषसिद्ध किया गया है, जबकि श्री राणा के अनुसार किसी आतंकवादी कार्य को कारित करने के लिये रचे गये आपराधिक षडयन्त्र का पक्षकार होने वाले अभियुक्त के सम्बन्ध में विधि विरूिद्ध किया कलाप (निवारण) अधिनियम 1967 की धारा 18 में दण्ड का विशिष्ठ प्रावधान किया गया है। ऐसे में अभियुक्त देवेन्द्र गुप्ता को विधि विरुद्ध किया कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 16 सपठित धारा 15 सपठित धारा 120—बी भा.दं.सं. के तहत दण्डित नहीं किया जा सकता है, बल्कि धारा 18 विधि विरुद्ध किया कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के तहत ही दण्डित किया जाना चाहिये।

14— श्री राणा का यह भी तर्क है कि न्यायालय ने अभियुक्त देवेन्द्र गुप्ता को दरगाह शरीफ अजमेर में बम विस्फोट कारित करने के लिये रचे गये आपराधिक षडयन्त्र का पक्षकार होना तो माना है, लेकिन यह निष्कर्ष भी किसी प्रत्यक्ष साक्ष्य पर आधारित निष्कर्ष नहीं है, बल्कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर ही कुछ अवधारणाएँ (inferences) करते हुए अभियुक्त देवेन्द्र गुप्ता के ऐसे आपराधिक षडयन्त्र में पक्षकार होने का निष्कर्ष अभिलिखित किया गया है, ऐसे में श्री राणा के अनुसार परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष अभिलिखित किये जाने के चलते अभियुक्त देवेन्द्र गुप्ता के विरूद्ध उसे दण्डित करते समय अपेक्षित रूप से नरम रूख (relatively lienent view) अपनाया जाना चाहिये।

15— श्री राणा का यह भी तर्क रहा है कि अभियुक्त देवेन्द्र गुप्ता 41 वर्षीय नवयुवक है तथा घटना के समय 32 वर्षीय नवयुवक था। साथ ही उसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि या पूर्व दोषसिद्धि भी साबित नहीं की गई है, न ही अभियोजन पक्ष ने यह साबित किया है कि वह समाज के लिये किसी भी

प्रकार से खतरा बन गया है या हस्तगत घटना के बाद भी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहा है या उसमें सुधार होने की कोई गुंजाइश नहीं रह गई है।

16— श्री राणा का यह भी तर्क रहा है कि स्वयं अभियोजन पक्ष अभियुक्त देवेन्द्र गुप्ता के विरूद्ध यह मामला लेकर नहीं आया है कि वह बम ब्लास्ट करने की घटना में प्रत्यक्ष रूप से लिप्त रहा हो या बम तैयार करने के कार्य में सम्मिलित रहा हो या उन्हें प्लाण्ट करने के लिये दरगाह शरीफ अजमेर में आया हो, ऐसे में श्री राणा के अनुसार यह भी सम्भव है कि अभियुक्त देवेन्द्र गुप्ता द्वारा तैयार करवाये गये अपने व मनोज कुमार के नाम के ड्राइविंग लाईसेन्स का इस मामले में लिप्त अन्य अज्ञात अभियुक्तगण ने दुरूपयोग किया हो।

17— अन्त में श्री राणा ने उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को विचार में लेते हुए अभियुक्त देवेन्द्र गुप्ता के प्रति अपेक्षित रूप से नरम रूख अपनाये जाने का निवेदन किया है।

2— <u>अभियुक्त भावेश भाई पटेल :—</u>

न्यायाधीश (एन० आई० ए० केसेज) राजस्थान, जयपुर

18— श्री राणा का तर्क रहा है कि अभियुक्त भावेश भाई पटेल को भी केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर ही हस्तगत दरगाह शरीफ बम ब्लास्ट मामले में लिप्त होने का निष्कर्ष अभिलिखित किया गया है तथा दिनांक 10—10—2007 को रात्रि 08.22 बजे से दिनांक 12—10—2007 को सुबह 7.18 बजे के बीच उसके द्वारा अपने मोबाईल फोन का उपयोग नहीं किये जाने तथा इस अवधि में उसकी बड़ौदा, गुजरात एवं गांधीनगर, गुजरात में उपस्थिति दर्शित होने के आधार पर तथा हस्तगत मामले में लिप्तता उजागर होने पर पुलिस द्वारा तलाश किये जाने की जानकारी प्राप्त हो जाने के बाद भूमिगत हो जाने के आधार पर ही अभियुक्त भावेश भाई पटेल को हस्तगत दरगाह शरीफ बम ब्लास्ट मामले के षडयन्त्र में पक्षकार होना तथा बम प्लाण्ट करने के लिये दरगाह शरीफ, अजमेर में आने का निष्कर्ष अभिलिखित किया गया है, जो निष्कर्ष किसी ठोस एवं स्पष्ट प्रत्यक्ष साक्ष्य पर आधारित नहीं है, ऐसे में

अभियुक्त भावेश भाई पटेल को विधि विरूिद्ध कियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1967 की धारा 16 सपठित धारा 15 के तहत दण्डनीय अपराध के लिये मृत्यु दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित नहीं है।

19— श्री राणा का यह भी तर्क है कि न्यायालय ने निर्णय पारित करते समय अभियुक्त भावेश भाई पटेल के धारा 164 दण्ड प्रकिया संहिता के तहत लेखबद्ध किये गये कथन प्रदर्श पी—240 को विश्वसनीय नहीं माना है। लेकिन यदि एक बार के लिये उक्त कथन पर विचार किया जावे तो यह भी प्रकट होता है कि फरार अभियुक्त सुरेश नायर से अभियुक्त भावेश भाई पटेल का पुराना परिचय था तथा उसने अभियुक्त भावेश भाई पटेल को राजस्थान घूमकर आने की बात कहकर बुलाया था तथा वह सद्भावनापूर्वक घूमने के लिये फरार अभियुक्त सुरेश नायर एवं अन्य अज्ञात अभियुक्तण/लोगों के साथ अजमेर आ गया था, जबकि उसे अजमेर जाने के उद्देश्य एवं दरगाह शरीफ, अजमेर में बम प्लाण्ट करने की लेश मात्र भी जानकारी नहीं थी, बल्कि अजमेर से वापस लौटते समय रास्ते में फरार अभियुक्त सुरेश से पूछताछ करने पर ही उसे दरगाह शरीफ अजमेर आने के उद्देश्य की जानकारी हुई थी। ऐसे में श्री राणा के अनुसार इस सम्भावना को भी सिरे से नहीं नकारा जा सकता है कि अभियुक्त भावेश भाई पटेल सहज रूप से (advisedly/normally) अपने पुराने परिचित फरार अभियुक्त सुरेश नायर के कहने से उसके साथ अजमेर आया हो। ऐसे में श्री राणा के अनुसार अभियुक्त भावेश भाई पटेल को अधिकतम आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया जाना ही न्यायोचित होगा।

न्यायाधीश (एन० आई० ए० केस) राजस्थान, जयपुर

20— श्री राणा का यह भी तर्क रहा है कि अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर पाया है कि अभियुक्त भावेश भाई पटेल समाज के लिये एक स्थाई खतरा बन गया हो या हस्तगत घटना के पूर्व में या बाद में भी किसी आपराधिक गतिविधि में लिप्त रहा हो।

21— श्री राणा के अनुसार अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त भावेश पटेल की कोई आपराधिक पृष्ठभूमि या पूर्व दोषसिद्धि भी अभिलेख पर नहीं लाई गई है, ऐसे में केवल इस एक मात्र घटना में लिप्त पाये जाने के आधार पर भी उसे

मृत्यु दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित नहीं है।

22— श्री राणा का यह भी तर्क है कि अभियुक्त भावेश भाई पटेल भी वर्तमान में 39 वर्षीय नवयुवक है तथा घटना के समय केवल 30 वर्ष की आयु का नवयुवक था, ऐसे में अधिकतम इतना ही माना जा सकता है कि वह राजस्थान घूमने के नाम पर फरार अभियुक्त सुरेश नायर एवं अन्य अज्ञात लोगों के साथ अजमेर आया हो या अपरिपक्व अवस्था का नवयुवक होने के कारण नैतिक रूप से स्वयं को सही मानते हुए इस मूर्खतापूर्ण कार्य में सम्मिलित रहा हो तथा इसके वास्तविक एवं भयावह दुष्परिणामों को अपेक्षित दूरदर्शिता बरतते हुए विचार में नहीं ले पाया हो।

23— श्री राणा ने विद्वान विशिष्ठ लोक अभियोजक द्वारा हिन्दू धर्म एवं संस्कृति तथा उसके स्थापित मूल्यों को ठेस पहुँचाने के सम्बन्ध में विद्वान विशिष्ठ लोक अभियोजक द्वारा दिये गये तर्कों का तीव्र विरोध करते हुए तर्क दिया है कि हस्तगत घटना का हिन्दू धर्म एवं संस्कृति या उसके स्थापित मूल्यों से किसी प्रकार का कोई लेना—देना नहीं है, बल्कि अधिक से अधिक इतना ही कहा जा सकता है कि इस घटना में लिप्त लोगों द्वारा स्वयं को नैतिक रूप से सही मानते हुए एक मूर्खतापूर्ण कदम उठाया गया है।

24— अन्त में श्री राणा ने अभियुक्त भावेश भाई पटेल के प्रति भी उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को विचार में लेने के बाद नरम रूख अपनाये जाने का निवेदन किया है।

25— श्री राणा ने अपने तर्कों के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टान्तों पर भरोसा किया है :—

1— 2014 क्रिमिनल लॉ जरनल 2712 सुप्रीम कोर्ट, ललित कुमार यादव उर्फ कुड़ी बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश,

2— (2010) 14 एससीसी 641, मोहम्मद फारूख अब्दुल गफ्फार बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र,

3—(1980) 2 एससीसी 682, बचन सिंह बनाम स्टेट ऑफ

पंजाब, एवं

4– एआईआर 1983, सुप्रीम कोर्ट 957, मच्छीसिंह व अन्य बनाम स्टेट ऑफ पंजाब

26– हमने उभयपक्ष के तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया है तथा दिनांक 08–03–2017 को पारित निर्णय का फिर से एक बार ध्यानपूर्वक परिशीलन किया है।

27– हमने अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता श्री जे.एस. राणा द्वारा प्रस्तुत किये गये न्यायिक दृष्टान्तों का भी सादर सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित की गई विधिक स्थिति के अनुसार किसी अभियुक्त को मृत्यु दण्ड से दण्डित किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लेते समय, विचार में लिये जाने वाले सुसंगत पहलूओं पर भी गम्भीरतापूर्वक विचार किया है।

28– इस न्यायालय की विनम्र राय में सर्वप्रथम श्री जे.एस. राणा के इस तर्क पर विचार किया जाना न्यायहित में आवश्यक हो जाता है कि अभियुक्त देवेन्द्र गुप्ता को दरगाह शरीफ अजमेर में बम विस्फोट करने के लिये रचे गये आपराधिक षडयन्त्र में पक्षकार होने का निष्कर्ष अभिलिखित किये जाने के बाद उसे केवल विधि विरूद्ध किया कलाप (निवारण) अधिनियम 1967 की धारा 18 के तहत ही दण्डित किया जा सकता है, आतंकवादी कार्य कारित करने के लिये धारा 120बी भा.द.सं. की मदद से धारा 16 सपठित धारा 15 के तहत दण्डित नहीं किया जा सकता है।

29– लेकिन इस न्यायालय की विनम्र राय में श्री राणा का उक्त तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है, क्योंकि निर्णय दिनांक 08–03–2017 में अभिलिखित किये गये निष्कर्ष के अनुसार अभियुक्त देवेन्द्र गुप्ता को दरगाह शरीफ अजमेर में बम ब्लास्ट कारित करने के लिये रचे गये आपराधिक षडयन्त्र के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये सकिय तौर पर लिप्त पाया गया है तथा उसके द्वारा बम ब्लास्ट की घटना को सुनिश्चित करने के लिये टाइमर डिवाईस के रूप में उपयोग में लिये जाने वाले मोबाईल इन्स्ट्रूमेन्ट्स में लगायी जाने

वाली सिम उपलब्ध कराते हुए बम ब्लास्ट की घटना में सक्रिय योगदान दिया जाना भी साबित पाया गया है।

30— इस प्रकार अभियुक्त देवेन्द्र गुप्ता दरगाह शरीफ अजमेर में बम ब्लास्ट कारित करने के लिये रचे गये आपराधिक षडयन्त्र में केवल सहमति व्यक्त करने वाला निष्क्रिय पक्षकार नहीं रहा है, बल्कि उसने बम विस्फोट की घटना को कारित किये जाने को सुनिश्चित करने के लिये अपना सक्रिय योगदान दिया है। ऐसे मे वह भी रचनात्मक दायित्व (constructive liability) के सिद्धान्त के अनुसार बम ब्लास्ट की घटना के लिये बम ब्लास्ट कारित करने वाले व्यक्तियों के साथ समान रूप से उत्तरदायी है।

31— विशेषतः जबकि धारा 120ए भारतीय दण्ड संहिता में दी गई आपराधिक षडयन्त्र की परिभाषा के अनुसार कोई अपराध कारित करने के लिये सहमत हुए दो या अधिक व्यक्ति, केवल इस प्रकार सहमत होने जाने के आधार पर ही आपराधिक षडयन्त्र में पक्षकार हो जाते हैं तथा इस प्रकार सहमत हो जाने के बाद, उनमें से एक या अधिक पक्षकार का ऐसे आपराधिक षडयन्त्र के अग्रसरण में कोई कार्य किया जाना आवश्यक नहीं रह जाता है।

32— इस प्रकार कोई अपराध कारित करने के लिये दो या अधिक व्यक्तियों के साथ सहमत हो जाने मात्र के आधार पर ही, इस प्रकार सहमत होने वाला व्यक्ति आपराधिक षडयन्त्र का पक्षकार हो जाता है तथा यदि वह आपराधिक षडयन्त्र मृत्यु दण्ड, आजीवन कारावास या दो वर्ष एवं अधिक के कठोर कारावास से दण्डनीय अपराध को कारित करने के लिये रचा जाता है तो ऐसे आपराधिक षडयन्त्र का प्रत्येक पक्षकार भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120बी (1) के तहत दण्डनीय होता है।

33— जबकि यदि अन्य किसी अपराध को कारित करने के लिये आपराधिक षडयन्त्र की रचना की जाती है तो ऐसे आपराधिक षडयन्त्र का प्रत्येक पक्षकार केवल 06 माह तक के किसी भी भांति के कारावास या जुर्माना या दोनों से ही दण्डनीय होता है।

34— इस प्रकार इस न्यायालय की विनम्र राय में किसी अपराध का

कारित करने के लिये आपराधिक षडयन्त्र की रचना करते हुए दो या अधिक व्यक्तियों के साथ सहमत होने वाला व्यक्ति केवल सहमत हो जाने मात्र के आधार पर ही आपराधिक षडयन्त्र की रचना किये जाने के लिये दण्डित किये जाने योग्य हो जाता है।

35— जबकि यदि वह ऐसे आपराधिक षडयन्त्र के अग्रसरण में उसके उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये सक्रिय रूप से अपना योगदान देते हुए ऐसे आपराधिक षडयन्त्र के उद्देश्य को प्राप्त करना सुनिश्चित करने के लिये कोई कृत्य करता है तो वह केवल आपराधिक षडयन्त्र के लिये दण्डनीय नहीं रह जाता है, बल्कि ऐसे आपराधिक षडयन्त्र के अन्तिम उद्देश्य को प्राप्त करते हुए कारित किये गये अपराध के लिये भी समान रूप से उत्तरदायी होता है, चाहे वह अभियुक्त उस आपराधिक षडयन्त्र के अन्तिम उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये कारित किये गये आपराधिक कृत्य में स्वयं व्यक्तिगत रूप से सम्मिलित नहीं रहा हो।

36— इस प्रकार इस न्यायालय की विनम्र राय में अभियुक्त देवेन्द्र गुप्ता विधि विरूद्ध किया कलाप (निवारण) अधिनियम 1967 की धारा 15 में परिभाषित आतंकवादी कार्य को कारित करने के लिये धारा 16 सपठित धारा 120बी भा.द.सं. के साथ—साथ दरगाह शरीफ अजमेर में बम ब्लास्ट कारित करने के लिये रचे गये आपराधिक षडयन्त्र का पक्षकार होने के नाते धारा 18 के तहत भी पृथक दण्डित किये जाने योग्य हो जाता है।

विशिष्ट न्यायाधीश ... सत्यमेव जयते ... राजस्थान

37— साथ ही चूंकि दरगाह शरीफ अजमेर में एक जीवित बम भी बरामद हुआ है, इसलिये अभियुक्त देवेन्द्र गुप्ता धारा 15 में परिभाषित आतंकवादी कार्य को कारित किये जाने का प्रयत्न किये जाने के लिये भी धारा 18 के तहत दण्डित किये जाने योग्य है।

38— मेरे इस अभिमत को, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टान्त **(2016) 11 एससीसी 544, मोहम्मद जलीस अंसारी व अन्य बनाम सीबीआई** वाले मामले में अभिनिर्धारित की गई विधिक स्थिति से भी बल एवं मार्गदर्शन मिलता है, जिसमें अभियुक्त ए—2 अशफाक खान, ए—3 डॉ. हबीब

अहमद खान, ए–5 मो. आफताब खान, ए–16 अब्रे रहमत अंसारी उर्फ कारी, ए–4 एन. जमाल अल्वी, ए–7 फजलुर्रहमान सूफी उर्फ शमीम, ए–14 मो. अमीन एवं ए–15 मो. एजाज अकबर को विद्वान डेजिगनेटेड कोर्ट, अजमेर द्वारा आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधि निवारण अधिनियम 1987 (संक्षेप में टाडा एक्ट) की धारा 3(2)(i) सपठित धारा 120बी भा.द.सं. एवं धारा 3(2)(ii) सपठित धारा 120बी भा.दं.सं. के साथ–साथ धारा 3(3) के तहत दण्डनीय अपराधों के लिये दोषसिद्ध किये जाने का माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुमोदन किया गया है।

39– यहां यह उल्लेखनीय है कि टाडा एक्ट की धारा 3(1) में आतंकवादी कार्य की परिभाषा दी गई है, जो विधि विरूद्ध किया कलाप (निवारण) अधिनियम 1967 की धारा 15 में दी गई परिभाषा के लगभग समान है।

40– जबकि टाडा एक्ट की धारा 3(2) में आतंकवादी कार्य कारित करने के दण्ड का प्रावधान किया गया है, जो विधि विरूद्ध किया कलाप (निवारण) अधिनियम 1967 की धारा 16 के लगभग समान है।

41– वहीं टाडा एक्ट की धारा 3(3) के तहत आतंकवादी कार्य किये जाने या उसकी तैयारी का कोई कार्य किये जाने के लिये षडयन्त्र रचे जाने या उसे कारित किये जाने का प्रयत्न किये जाने के कृत्य आदि के सम्बन्ध में दण्ड का प्रावधान किया गया है, लगभग वैसा ही प्रावधान विधि विरूद्ध किया कलाप (निवारण) अधिनियम 1967 की धारा 18 के तहत किया गया है।

42– साथ ही यहां यह भी उल्लेखनीय है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टान्त (2002) 7 एससीसी 334, मोहम्मद खालिद बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में अभिनिर्धारित की गई विधिक स्थिति से मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए, अभियुक्त देवेन्द्र गुप्ता के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 या 120–बी सपठित धारा 302 एवं धारा 307 या धारा 120बी सपठित धारा 307 के तहत दण्डनीय अपराधों के लिये भी आरोप विरचित किये जाने के बावजूद, अभियुक्त देवेन्द्र गुप्ता को विधि विरूद्ध किया

कलाप (निवारण) अधिनियम 1967 की धारा 16 सपठित धारा 15 सपठित धारा 120—बी भारतीय दण्ड संहिता के तहत अपराध के लिये दोषसिद्ध कर दिये जाने के कारण ही, उसे उक्त दोनों अपराधों के लिये पृथक से दोषसिद्ध नहीं किया गया है।

43— इस प्रकार इस न्यायालय की विनम्र राय में अभियुक्त देवेन्द्र गुप्ता विधि विरूद्ध कियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1967 की धारा 16 सपठित धारा 15 सपठित धारा 120बी भा.द.सं. के साथ—साथ विधि विरूद्ध कियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1967 की धारा 18 के तहत दण्डनीय अपराध के लिये भी पृथक से दण्डित किये जाने योग्य है।

44— जहां तक अभियुक्त देवेन्द्र गुप्ता एवं भावेश पटेल को कमशः विधि विरूद्ध किया कलाप (निवारण) अधिनियम 1967 की धारा 16 सपठित धारा 15 सपठित धारा 120—बी भारतीय दण्ड संहिता एवं विधि विरूद्ध किया कलाप (निवारण) अधिनियम 1967 की धारा 16 सपठित धारा 15 के तहत दण्डनीय अपराध के लिये मृत्यु—दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रश्न है तो, इस न्यायालय की विनम्र राय में दरगाह शरीफ अजमेर में रमजान के पवित्र महीने में रोजा—इफ्तार के समय बम ब्लास्ट की घटना कारित किये जाने का अपराध जघन्य प्रकृति का होने तथा इस घटना में तीन निर्दोष लोगों की जान चली जाने एवं 15 अन्य लोगों के घायल हो जाने के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अपराध की जघन्यता अत्यधिक बढ़ जाने के बावजूद, अभियुक्तगण के विद्वान योग्य अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये न्यायिक दृष्टान्तों में अभिनिर्धारित की गई विधिक स्थिति की रोशनी में अभियुक्तगण के पक्ष में मौजूद निम्नलिखित शमनकारी परिस्थितियों (Mitigating circumstances) के कारण अभियुक्तगण को मृत्यु—दण्ड से दण्डित किया जाना विधिसम्मत एवं न्यायोचित नहीं हैं :—

1— दोनों ही अभियुक्तगण को हस्तगत घटना से पहले किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि में लिप्त दर्शाने वाली लेश मात्र भी कोई सामग्री अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है, न ही बहस के दौरान दर्शायी गई है।

2— हस्तगत मामले के बाद भी अभियुक्तगण की किसी प्रकार की आपराधिक गतिविधि में लिप्त दर्शाने वाली लेश मात्र भी कोई सामग्री अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है, न ही बहस के दौरान दर्शायी गई है।

3— अभियुक्तगण घटना के समय लगभग 30 से 32 वर्ष की युवावस्था के थे तथा वर्तमान में भी 39 से 41 वर्ष नवयुवक हैं।

4— दोनों अभियुक्तगण को समाज के लिये निरन्तर खतरा उत्पन्न करने वाला (Menace to the society) भी नहीं दर्शाया गया है।

5— अभियोजन पक्ष द्वारा ऐसी भी सामग्री अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है, जो दोनों अभियुक्तगण में सुधार होने की सम्भावना को पूरी तरह नकार देती हो।

6— दोनों अभियुक्तगण को परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर कुछ अवधारणाएँ लेते हुए (by drawing certain inferences) हस्तगत मामले में लिप्त पाया गया है।

7— माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टान्त 2014 क्रिमिनल लॉ जरनल 1830 सुप्रीम कोर्ट, अशोक देब वर्मा उर्फ अचक देब वर्मा बनाम स्टेट ऑफ त्रिपुरा वाले मामले में पेरा संख्या 26 से 31 में अभिनिर्धारित्त की गई विधिक स्थिति के अनुसार भी दोनों अभियुक्तगण को मृत्यु दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित नहीं है, क्योंकि हस्तगत दरगाह शरीफ बम ब्लास्ट मामले के षडयन्त्र में अभियोजन द्वारा अनेक लोगों को सम्मिलित बताया गया था तथा स्व. अभियुक्त सुनील जोशी सहित कुल 10 अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप–पत्र प्रस्तुत किया गया था, जब कि तीन अभियुक्तगण सुरेश नायर, सन्दीप डांगे एवं रामचन्द्र कलसांगरा को फरार बताया गया था एवं अन्य कई लोगों को संदिग्ध मानते हुए उनके विरूद्ध अनुसंधान भी लम्बित रखा गया था, जिनमें से इस न्यायालय द्वारा केवल उक्त दोनों अभियुक्तगण एवं अभियुक्त स्व. सुनील जोशी को ही दोषी पाया गया है, जबकि स्वयं अभियोजन के अनुसार अनेक लोगों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। ऐसे में केवल उक्त दोनों अभियुक्तगण को ही सम्पूर्ण घटनाक्रम के लिये दोषी ठहराते हुए

मृत्यु–दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित नहीं है।

45– इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन की रोशनी में अभियुक्तगण देवेन्द्र गुप्ता एवं भावेश भाई पटेल को क्रमशः विधि विरूद्ध क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1967 की धारा 16 सपठित धारा 15 सपठित धारा 120–बी भारतीय दण्ड संहिता एवं विधि विरूद्ध क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1967 की धारा 16 सपठित धारा 15 के तहत दण्डनीय अपराध के लिये मृत्यु दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित नहीं है।

46– अतः अभियुक्त देवेन्द्र गुप्ता उर्फ बोबी उर्फ रमेश पुत्र श्री सत्यप्रकाश गुप्ता, उम्र–41 वर्ष निवासी–बिहारीगंज, पहली गली के सामने, अजमेर (राजस्थान) को निम्न प्रकार से दण्डित किया जाता है:–

(i) अभियुक्त देवेन्द्र गुप्ता को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120–बी सपठित धारा 295ए के तहत दण्डनीय अपराध के लिये दो वर्ष के कठोर कारावास एवं रुपये 1,000/– के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्त एक माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतेगा।

(ii) अभियुक्त देवेन्द्र गुप्ता को विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 की धारा 3 सपठित धारा 120–बी भा.दं.सं. के तहत दण्डनीय अपराध के लिये पाँच वर्ष के कठोर कारावास एवं रुपये 3,000/– के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्त छः माह (6 माह) का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतेगा।

(iii) अभियुक्त देवेन्द्र गुप्ता को विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 की धारा 4 के तहत दण्डनीय अपराध के लिये पांच वर्ष के कठोर कारावास एवं रुपये 3,000/– के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्त छः माह (6 माह) का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतेगा।

(iv) अभियुक्त देवेन्द्र गुप्ता को विधि विरुद्ध क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 16 (1) (a) सपठित धारा 15 सपठित धारा 120–बी भा.दं.सं. के तहत दण्डनीय अपराध के लिये आजीवन कारावास एवं

रुपये 5,000/– के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्त एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतेगा।

अब अभियुक्त देवेन्द्र गुप्ता को विधि विरूद्ध किया कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 16 (1) (b) के तहत पृथक से दण्डित किया जाना न्यायोचित नहीं पाया जाता है।

(v) अभियुक्त देवेन्द्र गुप्ता को विधि विरुद्ध किया कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 18 के तहत दण्डनीय अपराध के लिये पॉच वर्ष के कठोर कारावास एवॅ रुपये 3,000/– के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्त छः माह (6 माह) का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतेगा।

47– सभी सजाएँ साथ–साथ चलेंगी। अभियुक्त द्वारा पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में बिताई गई अवधि कारावास की सजा में से समायोजित की जावेगी। अभियुक्त को दण्डादेश की एक निशुल्क प्रति तत्काल उपलब्ध कराई जावे। अभियुक्त को सजा के वारण्ट के साथ सजा भुगताने के लिये केन्द्रीय कारागार, जयपुर में दाखिल करवाया जाए।

48– अभियुक्त अभियुक्त भावेश अरविन्द भाई पटेल पुत्र श्री अरविन्द भाई पटेल, उम्र–39 वर्ष, निवासी–बी/4, हाथीखाना बाजार, भरूच, (गुजरात) को निम्न प्रकार से दण्डित किया जाता है:–

(i) अभियुक्त भावेश पटेल को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120–बी सपठित धारा 295ए के तहत दण्डनीय अपराध के लिये तीन वर्ष के कठोर कारावास एवं रुपये 1,000/– के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्त एक माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतेगा।

(ii) अभियुक्त भावेश पटेल को विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 की धारा 3 के तहत दण्डनीय अपराध के लिये सात वर्ष के कठोर कारावास एवॅ रुपये 6,000/– के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्त एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतेगा।

(iii) अभियुक्त भावेश पटेल को विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 की धारा 4 के तहत दण्डनीय अपराध के लिये पॉच वर्ष के कठोर कारावास एवॅं रुपये 3,000/– के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्त छः माह (6 माह) का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतेगा।

(iv) अभियुक्त भावेश पटेल को विधि विरुद्ध क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 16 (1) (a) सपठित धारा 15 के तहत दण्डनीय अपराध के लिये आजीवन कारावास एवं रुपये 10,000/– के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्त 18 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतेगा।

अब अभियुक्त भावेश पटेल को विधि विरूद्ध क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 16 (1) (b) के तहत पृथक से दण्डित किया जाना न्यायोचित नहीं पाया जाता है।

(v) अभियुक्त भावेश पटेल को विधि विरुद्ध क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 18 के तहत दण्डनीय अपराध के लिये सात वर्ष के कठोर कारावास एवं रुपये 3,000/– के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्त छः माह (6 माह) का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतेगा।

49– सभी सजाऍं साथ–साथ चलेंगी। अभियुक्त द्वारा पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में बिताई गई अवधि कारावास की सजा में से समायोजित की जावेगी। अभियुक्त को दण्डादेश की एक निशुल्क प्रति तत्काल उपलब्ध कराई जावे। अभियुक्त को सजा के वारण्ट के साथ सजा भुगताने के लिये केन्द्रीय कारागार, जयपुर में दाखिल करवाया जाए।

50– चूंकि अभी तीन अभियुक्तगण फरार चल रहे हैं तथा कुछ संदिग्ध लोगों के विरूद्ध धारा 173(8) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत अनुसंधान लम्बित रखा गया है, ऐसे में सीज़ किये गये आर्टिकल्स के सम्बन्ध में कोई आदेश पारित नहीं किया जा रहा है।

51— एनआईए द्वारा पूरक आरोप—पत्र संख्या 92—बी में संदिग्ध व्यक्तियों रमेश गोहिल उर्फ घनश्याम, अमित उर्फ सन्नी उर्फ हकला के साथ—साथ प्रज्ञा सिंह, समन्दर, जयन्ती भाई एवं इन्द्रेश कुमार के विरूद्ध भी धारा 173(8) दण्ड प्रकिया संहिता के तहत अनुसंधान लम्बित रखा गया था। साथ ही फरार अभियुक्तगण रामचन्द्र कलसांगरा, सन्दीप डांगे एवं सुरेश नायर तथा अभियुक्त स्व. सुनील जोशी के विरूद्ध अतिरिक्त साक्ष्य एकत्रित करने के लिये भी धारा 173(8) दण्ड प्रकिया संहिता के तहत अनुसंधान लम्बित रखा गया था।

52— जबकि पूरक आरोप—पत्र संख्या 92—सी में केवल अभियुक्तगण रमेश गोहिल उर्फ टिंकू उर्फ घनश्याम उर्फ मोहन, अमित उर्फ प्रिन्स उर्फ हकला उर्फ सन्नी (वास्तविक नाम रमेश वेंकटराव महालकर), सन्दीप डांगे, रामचन्द्र कलसांगरा एवं सुरेश नायर के विरूद्ध ही अनुसंधान लम्बित रखा गया है।

53— लेकिन संदिग्ध व्यक्तियों प्रज्ञासिंह, समन्दर, जयन्ती भाई एवं इन्द्रेश कुमार के सम्बन्ध में अनुसंधान लम्बित रखे जाने का कोई उल्लेख नहीं किया गया था, ना ही इनके हस्तगत मामले में लिप्त नहीं पाये जाने का उल्लेख करते हुए विधिवत पूरक अन्तिम परिणाम प्रस्तुत किया गया है।

54— दिनांक 06—02—2017 को बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता श्री जे.एस. राणा द्वारा अभियुक्त रमेश गोहिल उर्फ टिंकू उर्फ घनश्याम का हाल ही में निधन हो जाना भी प्रकट किया गया है तथा विद्वान विशिष्ठ लोक अभियोजक द्वारा दिनांक 16—03—2017 को उसकी मृत्यु होने के कारण का प्रमाण—पत्र भी प्रस्तुत किया गया है।

55— उक्त अभियुक्त रमेश गोहिल उर्फ टिंकू उर्फ घनश्याम उर्फ मोहन को हस्तगत मामले में गिरफ्तार भी किया जा चुका है।

56— लेकिन अभी तक इसके विरूद्ध धारा 169 दण्ड प्रकिया संहिता के तहत या धारा 170/173 दण्ड प्रकिया संहिता के तहत कोई पूरक अन्तिम परिणाम पेश नहीं किया गया है।

57— इसी प्रकार एक अन्य अभियुक्त अमित उर्फ प्रिन्स उर्फ हकला उर्फ सन्नी (वास्तविक नाम रमेश वेंकटराव महालकर) के विरूद्ध भी धारा 299 दण्ड प्रकिया संहिता के तहत फरारी में आरोप—पत्र या धारा 169 दण्ड प्रकिया संहिता या धारा 170/173 दण्ड प्रकिया संहिता के तहत कोई पूरक अन्तिम परिणाम प्रस्तुत नहीं किया गया है, जबकि उसे बम प्लाण्ट करने के लिये दरगाह शरीफ अजमेर में आना भी अनुसंधान से साबित पाया गया है।

58— साथ ही संदिग्ध व्यक्तियों प्रज्ञासिंह, समन्दर, जयन्ती भाई एवं इन्द्रेश कुमार के सम्बन्ध भी धारा 169 दण्ड प्रकिया संहिता या धारा 170/173 दण्ड प्रकिया संहिता के तहत विधिवत कोई पूरक अन्तिम परिणाम अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया था।

59— बल्कि उक्त दोनों अभियुक्तगण रमेश गोहिल उर्फ टिंकू उर्फ घनश्याम उर्फ मोहन एवं अमित उर्फ प्रिन्स उर्फ हकला उर्फ सन्नी (वास्तविक नाम रमेश वेंकटराव महालकर) के साथ—साथ संदिग्ध व्यक्तियों प्रज्ञा सिंह, समन्दर उर्फ राजेन्द्र चौधरी, जयन्ती भाई उर्फ उस्ताद एवं इन्द्रेश कुमार को, एनआईए की ओर से न्यायालय में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट दिनांकित 21—02—2017 के द्वारा, क्लीन चिट देते हुए आगामी अनुसंधान जारी नहीं रखने का मंतव्य (intention) प्रकट किया गया है, लेकिन इस न्यायालय की विनम्र राय में एनआईए की इस कार्यवाही को धारा 169 दण्ड प्रकिया संहिता या धारा 170/173 दण्ड प्रकिया संहिता के तहत विधिवत् पूरक अन्तिम परिणाम प्रस्तुत किये बिना विधिसम्मत एवं न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है।

60— विशेषतः जबकि विधिवत पूरक अन्तिम परिणाम प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण यह न्यायालय उक्त अभियुक्तगण/संदिग्ध लोगों के सम्बन्ध में धारा 319 दण्ड प्रकिया संहिता के तहत उचित आदेश भी पारित नहीं कर पा रहा है।

61— अतः The, DGP, NIA, New Delhi को आदेश जारी किया जावे कि उपरोक्त दोनों अभियुक्तगण एवं अन्य संदिग्ध पाये गये चारों व्यक्तियों के विरूद्ध धारा 169 दण्ड प्रकिया संहिता या धारा 170/173 दण्ड प्रकिया संहिता

के तहत विधिवत पूरक अन्तिम परिणाम दिनांक 28–03–2017 तक आवश्यक रूप से पेश किया जावे।

Sd/-

(दिनेश कुमार गुप्ता)

62– दण्डादेश आज दिनांक 22–03–2017 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Sd/-

(दिनेश कुमार गुप्ता)